पत्रावली दि० 14-12-2020 को पेश हो।

1-4-12-2020 पत्रावली पेश हुई/वकील ~~वादी/प्रतिवादी/~~
अपीलार्थी/~~रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष~~
उपस्थित हैं/~~अनुपस्थित है।~~ श्रीमान् पीठासीन
अधिकारी ~~भ्रमण पर हैं/अवकाश पर हैं/अन्य~~ चुनाव
कार्यो में व्यस्त हैं/~~का स्थानांतरण हो गया है।~~
अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 11-1-2021
को पेश हो।

रीडर

11-1-2021 वकील अपीलार्थी उप० । बहस सुनी गई । वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 18-1-2021 को पेश हो।

18-1-2021 पत्रावली पेश हुई/वकील ~~वादी/प्रतिवादी/~~
अपीलार्थी/~~रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष~~
उपस्थित हैं/~~अनुपस्थित है।~~ श्रीमान् ~~पीठासीन~~
अधिकारी ~~भ्रमण पर है~~/अवकाश पर हैं/~~अन्य~~
~~कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है।~~
अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 19-1-2021
को पेश हो।

रीडर

19-1-2021 वकील अपीलार्थी उप० । अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है । अपीलाधीन नामा० सं० $\frac{61}{10-6-89}$ ग्राम बाढ़ खूंटला, नामा० सं० $\frac{109}{10-6-89}$ ग्राम खूंटला सलोना निरस्त किए जाते हैं एवं प्रकरण तहसीलदार गंगापुर सिटी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे मृतक नारायण पुत्र बीरबल मीना, किशनलाल पुत्र नारायण मीना के वारिसों के बारे में जाँच कर नियमानुसार नामान्तरकरण खोलने की कार्यवाही करें । विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर [illegible] में शामिल किया गया । पत्रावली [illegible] कर नम्बर से कम हो एवं बाद [illegible] दफ्तर हो।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2021.02.19 17:32:33 IST
Reason: SelfAttested

नमोनारायण पुत्र किशनलाल जाति मीना निवासी खूंटला तह0 गंगापुर सिटी
—अपीलार्थी

बनाम

1. केदार पुत्र परसादी, मीना निवासी खूंटला तहसील गंगापुर सिटी
2. हुकमचन्द पुत्र परसादी, मीना निवासी खूंटला तहसील गंगापुर सिटी
3. मुरारी पुत्र किशनलाल, मीना निवासी खूंटला तहसील गंगापुर सिटी
4. ग्राम पंचायत खूंटला जरिए सरपंच, ग्राम पंचायत खूंटला —प्रत्यार्थीगण

अपील विरूद्ध निर्णय नामान्तरकरण संख्या 61 व 109
दिनांक 10.6.1989 ग्राम बाढखूंटला, खूंटलासलोना तहसील गंगापुर सिटी

उपस्थित :—श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट, अपीलार्थी की ओर से

निर्णय

अपीलार्थी ने अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 61 ग्राम बाढ खूंटला दिनांक 10.6.89 एवं नामान्तरकरण संख्या 109 ग्राम खूंटला सलोना दिनांक 10.6.89 इस आशय की प्रस्तुत की है कि नारायण पुत्र बीरबल अपीलार्थी व रेस्पोन्डेन्टान के बाबा थे। अपीलार्थी व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 के पिता किशनलाल पुत्र नारायण का इन्तकाल नारायण के जीवनकाल में ही हो गया था लेकिन नारायण के मरने के बाद विरासत का जो नामान्तरकरण खोला गया उसमें हलका पटवारी द्वारा अपीलार्थी का नाम दर्ज नहीं किया गया तथा अपीलार्थी की मां श्रीमती बसन्ती व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 का नाम ही अंकित कर दिया। बसन्ती की भी मृत्यु हो चुकी है। अपीलार्थी एवं रेस्पोन्डेन्ट मुरारी ही उनके एकमात्र वारिस हैं। ग्राम पंचायत द्वारा गलत रूप से नामान्तरकरण मुरारी व अपीलार्थी की मां के नाम ही तस्दीक कर दिया गया जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत है। अपीलार्थी को ग्राम पंचायत के निर्णय की जानकारी राजस्व अभिलेख की नकल प्राप्त करने से हुई है तदनुसार अपील अन्दर मियाद पेश है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरकरण संख्या 61 व 109 दिनांक 10.6.89 ग्राम पंचायत खूंटला निरस्त कर पुनः निर्णित करने के लिए रिमाण्ड किया जावे।

अपील दर्ज की जाकर प्रत्यार्थीगण को तलब किया गया । प्रत्यार्थीगण बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए।

अपील के साथ अपीलार्थी ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र, नकल नामान्तरकरण संख्या 61 दि0 10.6.89 ग्राम बाढखूंटला, नकल नामान्तरकरण संख्या 109 दिनांक 10.6.89 ग्राम खुटला सलोना प्रस्तुत किए हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2021.02.19 17:32:33 IST
Reason: SelfAttested

बहस विद्वान वकील अपीलार्थी सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान वकील ने अपनी अपील के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि अपीलाधीन नामान्तरकरण खोलते समय पटवारी हलका ने रेस्पोन्डेन्ट

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी

मुरारी व अपीलार्थी की मृतक मां श्रीमती बसन्ती के नाम ही नामान्तरकरण भरा, अपीलार्थी का नाम अपीलाधीन नामान्तरकरणो में दर्ज नहीं किया जबकि अपीलार्थी मृतक किशनलाल पुत्र नारायण का पुत्र है। अपीलाधीन नामान्तरकरण में दर्ज भूमि में अपीलार्थी भी अपना हक रखता है। इसलिए ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक किए अपीलाधीन नामान्तरकरणों को निरस्त फरमाया जाकर इन्हें पुनः निर्णित करने हेतु रिमाण्ड किया जावे।

बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 61 दि0 10.6.89 ग्राम बाढखूंटला, नकल नामान्तरकरण संख्या 109 दिनांक 10.6.89 ग्राम खूटला सलोना के अवलोकन से स्पष्ट है कि खातेदार नारायण पुत्र बीरबल की मृत्यु होने के बाद उसके वारिसों प्रसादी पुत्र नारायण, मुरारी पुत्र किशन, बसन्ती बेवा किशन मीना के नाम अपीलाधीन नामान्तरकरण खोले गए है। अपीलार्थी नमोनारायण मृतक किशन का पुत्र होने के नाम अपीलाधीन नामान्तरकरणो में अपना नाम दर्ज कराने का अधिकारी है। फलस्वरूप अपीलार्थी की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है एवं अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 61 दि0 10.6.89 ग्राम बाढखूंटला, नकल नामान्तरकरण संख्या 109 दिनांक 10.6.89 ग्राम खूटला सलोना निरस्त किए जाते हैं एवं प्रकरण तहसीलदार गंगापुर सिटी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे मृतक नारायण पुत्र बीरबल मीना, किशनलाल पुत्र नारायण मीना के वारिसों के बारे में जांच कर नियमानुसार नामान्तरकरण खोलने की कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार गंगापुर सिटी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.1.2021 खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2021.02.19 17:32:33 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते
गंगापुर सिटी (राज.)